भारत विरोधी षड्यंत्र में पॉपुलर फ्रंट की भूमिका

मनमोहन शर्मा

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

भारत विरोधी षड्यंत्र में पॉपुलर फ्रंट की भूमिका

मनमोहन शर्मा

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

प्रकाशक :

भारत नीति प्रतिष्ठान

डी-51, हौज खास, नई दिल्ली-110016 (भारत)

दूरभाष : 011-26524018

फैक्स : 011-46089365

ई-मेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in

प्रथम संस्करण : मार्च 2020

© **प्रकाशक**

ISBN: 978-93-84835-31-6

मूल्य : ₹ 60/-

मुद्रक

अनुक्रम

दक्षिण भारत में इस्लामिक अतिवाद का प्रसार	4
इस्लामिक अतिवाद से आतंकवाद का जन्म	8
भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश	13
आतंकी संगठनों के बदलते रूप	32
पॉपुलर फ्रंट का उभार	28

दक्षिण भारत में इस्लामिक अतिवाद का प्रसार

आमतौर पर देशवासियों में यह गलतफहमी पाई जाती है कि अतिवादी इस्लाम की जिहादी मनोवृत्ति सिर्फ उत्तर-पश्चिम भारत एवं बंगाल व असम तक ही सीमित है और दक्षिण भारत में आमतौर पर इस्लामिक साम्प्रदायिकता का वजूद नहीं है, तथा वहां के अधिकांश लोग साम्प्रदायिक सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हालांकि असलियत इसके विपरीत है। सबसे रोचक बात यह है कि देश को विभाजित करके एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाने का आंदोलन उन राज्यों में खूब पनपा जिनमें मुसलमान अल्पसंख्यक थे। मुस्लिम लीग के नेता चौधरी खलीकुज्जमान ने अपनी पुस्तक 'पाकिस्तान की राह' में इस बात को स्वीकार किया है कि उन राज्यों में पाकिस्तान की मांग का आंदेलन अपेक्षाकृत उतना जोरदार नहीं था जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक थे। शायद यही कारण है कि वर्तमान पाकिस्तान के सबसे मुस्लिम बहुल राज्य नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जब जनमत संग्रह हुआ तो गांधीवादी अब्दुल गफ्फार खान के प्रभाव के कारण मुस्लिम लीग को मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह से पंजाब में मुस्लिम लीग की स्थिति बहुत कमजोर थी और सत्ता की बागडोर जमींदारा लीग अर्थात यूनियनिस्ट पार्टी के हाथ में थी जो पाकिस्तान के निर्माण का डटकर विरोध कर रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री खिजर हयात तिवाना के पाकिस्तान विरोधी रूख को देखते हुए मुस्लिम लीग को पंजाब भर में जबर्दस्त आंदोलन चलाना पड़ा, जिससे विवश होकर तिवाना को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और बाजी मुस्लिम लीग ने मार ली।

इसी तरह से बंगाल में मुस्लिम लीग को अन्य संगठनों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। इससे साफ है कि पाकिस्तान हेतु आंदोलन में मुख्य भूमिका बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की थी। अंग्रेजों के इशारे पर अहमदिया सम्प्रदाय के मुसलमानों ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए जान लड़ा दी। उन्हें यह आशा थी कि अंग्रेज देश से विदा होते समय सत्ता की बागडोर मुस्लिम लीग के बजाय उनके हवाले कर जाएंगे। मगर लॉर्ड माउंटबेटन ने उनके सभी सपने धूल में मिला दिए और सत्ता की चाभी जिन्ना को सौंप दी।

इसी तरह से दक्षिण भारत मुख्य रूप से मुस्लिम उग्रवाद का केन्द्र बनकर उभरा हालांकि दक्षिण के सभी राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे। मगर ऐतिहासिक कारणों से राजनीति में हिन्दू समुदाय की अपेक्षा उनका वर्चस्व अधिक था। विजय नगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों में मुस्लिम सुल्तान सत्ता में आए। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मुस्लिम पृथकतावाद और साम्प्रदायिकता की जो जड़ें स्थापित की थी उनका आज तक निराकरण नहीं किया जा सका। निजामशाही ने हमेशा मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया। यह तथ्य सर्वविदित है कि अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान के दिमाग में मुसलमानों का खलीफा बनने का भूत सवार हुआ। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने एक लम्बा खेल खेला। मुसलमान बुद्धिजीवियों के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए, ताकि वे उन्हें देश के सर्वोच्च मुस्लिम शासक के रूप में महिमामंडित कर सकें। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि अंतिम खलीफा अब्दुल हमीद द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, केवल दो पुत्रियां ही थी। जब तुर्की के तानाशाह कमाल अतातुर्क ने खिलाफत का खात्मा करके अंतिम खलीफा को तुर्की से निर्वासित कर दिया तो उन्होंने फ्रांस में शरण ली। निजाम मीर उस्मान अली खान ने सोचा कि यही सुनहरा मौका है कि वे विश्व भर के मुसलमानों के खलीफा बन सकते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी खलीफा की पुत्रियों से कर दी। दुर्भाग्य से अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में

खिलाफत से टक्कर लेकर कड़वा घूंट पी चुके थे और वे इस बात को कभी सहन नहीं करते कि निजाम एक नए खलीफा के रूप में इस्लामी जगत में उभरे। यही कारण है कि उन्होंने निजाम के खलीफा बनने की तमन्नाओं पर लगाम लगा दी। इसके बावजूद निजाम के दिमाग में यह भूत सवार रहा कि अंग्रेजों के भारत से विदा होने के बाद वह किसी न किसी तरह दक्षिण भारत का मुस्लिम सम्राट बन जाए। इसलिए जैसे ही इस बात की चर्चा गर्म हुई कि अंग्रेज देश से विदा होने वाले हैं, निजाम ने आजाद हैदराबाद के स्वप्न देखने शुरू कर दिए। उनका साथ एक महत्वाकांक्षी वकील कासिम रिजवी ने दिया। आजाद हैदराबाद की सल्तनत की स्थापना के लिए हिन्दुस्तानी फौजों का मुकाबला करने के लिए निजाम ने एक लाख रजाकारों की भर्ती कर ली। उसी दौरान नवाब बहादुर यार जंग ने जो कि उन दिनों मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, एक नए उग्रवादी इस्लामिक संगठन की नींव रखी, जिसे 'मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' का नाम दिया गया। आज भी इस विरासत को असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरूद्दीन ओवैसी सम्भाले हुए हैं।

वर्तमान तमिलनाडु और केरल प्रारम्भ से ही मुस्लिम उग्रवाद का केन्द्र रहे हैं। शायद इसका कारण यह है कि केरल के व्यापारिक संबंध शुरू से ही मुस्लिम देशों से रहे हैं। हजरत मोहम्मद के जीवन काल में ही अरब सौदागरों ने मालाबार तट के क्षेत्रों में इस्लाम का प्रचार शुरू कर दिया था और देश की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन मस्जिद का निर्माण किया गया। अरब सौदागरों ने केरल की स्थानीय महिलाओं का जोर शोर से धर्मांतरण करना शुरू किया। ये लोग आज भी मोपला कहलाते हैं। मलयाली भाषा में मोपला का अर्थ दामाद होता है। पाकिस्तान आंदोलन के दौरान मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन हैदराबाद के साथ-साथ मुस्लिम लीग के गढ़ के रूप में उभरे। आजादी के बाद जब मुस्लिम लीग बोरिया बिस्तर बांधकर पाकिस्तान चली गई, उस समय भी इन तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग का अस्तित्व मौजूद था। यही कारण है कि लोकसभा के लिए इन क्षेत्रों से मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं। केरल में कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए कांग्रेस ने

मुस्लिम लीग का दामन थामा। केरल के मुस्लिम लीग के नेता सी.एच. मोहम्मद कोया के प्रभाव के कारण कांग्रेस ने देश में सबसे पहला मुस्लिम बहुल जिला मलप्पुरम के नाम से बनाने का फैसला किया। केरल का यह जिला लीगी उग्रवाद का आज भी गढ़ है। वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 80 प्रतिशत है। कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग से मोहभंग कभी नहीं हुआ। यूपीए सरकार में डॉ. मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में भी मुस्लिम लीग का एक मंत्री ई. अहमद शामिल था।

इस क्षेत्र में मुस्लिम उग्रवाद के बढ़ते हुए प्रभाव का एक कारण यह भी है कि इन राज्यों के एक करोड़ से अधिक लोग मुस्लिम देशों में रोजी-रोटी कमा रहे हैं। उनका संपर्क अपने क्षेत्र के निवासियों के साथ बराबर रहता है। वैसे भी अरबों के साथ दक्षिण भारत के मुसलमानों का विशेष मोह रहा है। निजाम हैदराबाद के विशेष अंगरक्षक अरब ही हुआ करते थे, जिन्हें वहां चाओस कहा जाता था। सातवें निजाम का अंतिम सेनापति भी एक अरब ही था। सऊदी अरब में उभरी वहाबी विचारधारा का प्रभाव विशेष रूप से दक्षिण भारत के मुसलमानों पर पड़ा। उनके दिल में आज भी इस्लामिक हुकूमत स्थापित करने के स्वप्न मौजूद है। ■

इस्लामिक अतिवाद से आतंकवाद का जन्म

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से इस्लामिक उग्रवादियों की आंखों की किरकिरी रहा है। इसका कारण यह है कि संघ की राष्ट्र भक्ति और देश के प्रति समर्पण इस्लामिक जिहादियों को फूटी आंख नहीं भाता। 1993 में चेन्नई स्थित संघ के कार्यालय में बम धमाके हुए, जिनमें 11 लोग मारे गए और सात घायल हुए। इन धमाकों की जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो यह पता चला कि इन धमाकों के पीछे एक इस्लामिक उग्रवादी संगठन इस्लामिक सेवक संघ का हाथ है। 1994 में एक अन्य धमाका तमिल नव दिवस के अवसर पर एक अन्य संगठन हिन्दू मुन्नानी के कार्यालय में हुआ, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। जब सीबीआई ने इन दोनों धमाकों की जांच की तो यह पता चला कि इन धमाकों के पीछे एक आतंकवादी संगठन अल उम्मा एवं इस्लामिक सेवक संघ का हाथ है, जिसका प्रमुख एक

उग्रवादी मौलाना अब्दुल नासिर मदनी है। उसी दौरान इस संगठन की ओर से तमिलनाडु में एक दर्जन अन्य स्थानों पर भी बम धमाके हुए, जिसमें अनेक लोग मारे गए। चेन्नई धमाकों का मुख्य आरोपी एक आतंकवादी मुश्ताक अहमद इन धमाकों का भी मुख्य आरोपी पाया गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने दस लाख रुपये की घोषणा की थी। यह जिहादी 24 वर्ष तक पुलिस के चंगुल से बचता रहा और अंत में उसे गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमें के सिलसिले में चेन्नई की न्यायालय अन्य बारह लोगों को 2007 में उम्रकैद की सजा सुना चुकी थी। बाद में विशेष न्यायालय ने उनमें से चार को बरी कर दिया।

इस घटना के बाद भी जिहादी आतंकवादी केरल और तमिलनाडु में खून की होली खेलते रहे। सरकार ने क्योंकि इस्लामिक सेवक संघ को अवैध घोषित कर दिया था इसलिए जिहादियों ने अल उम्मा नामक एक अन्य जिहादी संगठन स्थापित कर लिया। 1998 में जब भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कोयंबटूर गए थे तो उस दिन नगर में अनेक स्थानों पर बम धमाके किए गए, जिनमें 58 व्यक्ति मारे गए और 200 घायल हुए। नगर में 11 स्थानों पर 12 बम फटे थे। ये बम कारों, मोटरसाइकिलों और प्लास्टिक के थैलों में छिपाकर रखे गए थे। पुलिस को बिना फटे हुए एक दर्जन से अधिक बम भी मिले। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि इससे तीन महीने पूर्व इस क्षेत्र में इस्लामिक उग्रवादियों ने साम्प्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास किया था, जिनके फलस्वरूप पुलिस और उग्रवादियों के बीच

गिरफ्तार आतंकवादी एस.ए. बाशा

झड़पें हुईं, जिनमें 18 मुस्लिम दंगाई पुलिस की गोली से मारे गए थे। इन दंगों की शुरुआत उग्रवादियों द्वारा एक ट्रैफिक कांस्टेबल शलभराज और एक अन्य पुलिसकर्मी की हत्या से हुई थी। बताया जाता है कि इन दंगों के पीछे एस.ए. बाशा नामक एक मुस्लिम आतंकवादी का हाथ था, जिसका संबंध पहले इस्लामिक सेवक संघ और बाद में नवगठित इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल उम्मा से था। पुलिस की जांच द्वारा इस बात की पुष्टि हुई कि इस्लामिक आतंकवादियों का निशाना भाजपा के मुख्य नेता लालकृष्ण आडवाणी थे, जो भाग्यवश बाल-बाल बच गए।

इन धमाकों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग गठित किया था, जिसकी रिपोर्ट 18 मई, 2000 को तमिलनाडु विधानसभा में पेश की गई थी। इन धमाकों का मुकदमा 2002 में शुरू हुआ और इसमें 1300 से अधिक गवाहों ने गवाहियां दीं। पुलिस के अनुसार इस आतंकवादी संगठन से संबंधित इमाम अली और चार अन्य आरोपी बंगलुरू में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए थे। इस मुकदमें के सिलसिले में बाशा और उसके ग्यारह सहयोगियों को उम्रकैद की सजा दी गई। पुलिस की जांच के अनुसार 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद अल उम्मा का गठन किया गया था। इस संगठन के जिहादियों ने अनेक हिन्दू बस्तियों पर सुनियोजित ढंग से बमों से हमला किया, जिनमें 17 लोग मारे गए थे। इन धमाकों के फलस्वरूप अल उम्मा और जिहाद कमेटी को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। उसके अध्यक्ष एस.ए. बाशा और उसके 12 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने छापे मारकर इन धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच से इस बात का भी पता चला कि इन उग्रवादी संगठनों का संबंध तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कषगम से है। पुलिस ने इस संगठन के अध्यक्ष आर.एम. हनीफ और छात्र विंग के प्रमुख अकरम खान, अध्यक्ष एम.एच. जवाहिरूल्लाह और कोषाध्यक्ष जी.एम. पक्कर को गिरफ्तार किया। सरकार पर बढ़ते हुए दबाव के कारण तमिलनाडु की सरकार को इन उग्रवादी संगठनों के खिलाफ व्यापक रूप से कार्रवाई करनी पड़ी और इस संबंध में तमिलनाडु के अनेक नगरों में छापे मारकर एक सौ से अधिक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। जबकि 1000 से अधिक अन्य व्यक्तियों को आतंक निरोधक कानून के तहत पाबंद किया गया। इनके कब्जे से 2010 जिलेटिन छड़े, 540 बम, 575 पेट्रोल बम, 1100 डिटोनेटर और काफी

अब्दुल नासिर मदनी

मात्रा में अस्त्र-शस्त्र बरामद किए गए। उग्रवादियों से संबंध रखने के आरोप में उनके एक मुख्य नेता अब्दुल नासिर मदनी को भी गिरफ्तार किया गया।

सरकार के कड़े रूख को देखते हुए इस्लामिक सेवक संघ के अध्यक्ष और कुख्यात आतंकवादी अब्दुल नासिर मदनी ने केरल उच्च न्यायालय की शरण ली। उसने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें उसने इस्लामिक सेवक संघ पर 1992 में लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी। उसने यह दावा किया कि उसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है और वह अनवारूल इस्लाम चैरिटेबल सोसायटी का अध्यक्ष है। उच्च न्यायालय ने उसकी इस याचिका को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय में मुंह की खाने के बाद भी इस्लामिक आतंकवादियों ने हिम्मत नहीं हारी। केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसमें विधानसभा सदस्यों ने यह मांग की थी कि मदनी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उसके खिलाफ सभी मुकदमें वापस लेकर उसे जेल से रिहा किया जाए। रोचक बात यह है कि इस प्रस्ताव का समर्थन केरल के सभी राजनीतिक दलों ने किया, जिनमें कांग्रेस, मार्क्सवादी पार्टी और मुस्लिम लीग आदि एक दर्जन से अधिक पार्टियां शामिल थीं। मदनी को क्योंकि तमिलनाडु की विभिन्न सरकारों ने आतंकवाद से संबंधित कई मुकदमों में सजा दी थी इसलिए केरल विधानसभा ने तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता से अनुरोध किया कि इस आतंकवादी के खिलाफ सभी मुकदमें वापस लेकर उसे जेल

से रिहा किया जाए। मगर जयललिता ने इसे मानने से इनकार कर दिया। केरल और तमिलनाडु के अनेक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मदनी का प्रभाव है और उसकी अपील पर कोई भी पार्टी चुनाव में विधानसभा की कुछ सीटें जीत सकती हैं।

टी. नजीर

अब्दुल नासिर मदनी ने इस्लामिक सेवक संघ की स्थापना 1989 में की थी। मगर 1992 में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गुप्तचर सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की थी कि मदनी का संबंध लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकवादी संगठन के दक्षिण भारत के कमांडर टी. नजीर से है। टी. नजीर के कुख्यात आईएसआईएस के खलीफा बगदादी से संबंध को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि जब टी. नजीर भारत से फरार होकर बांग्लादेश जा रहा था तो उसे सीमा पर बांग्लादेश की सीमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब तक कई बार देश के सर्वोच्च वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय में इस बात के लिए एडी-चोटी का जोर लगाया है कि अब्दुल नासिर मदनी को किसी न किसी तरह से जमानत पर रिहा किया जाए। मगर सर्वोच्च न्यायालय उसके अपराधों की गम्भीरता को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के लिए तैयार नहीं हुई और मदनी आज भी जेल में बंद है। मदनी पर यह भी आरोप है कि उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक पी. परमेश्वरन और पादरी के.के. अलावी की हत्या के प्रयास किए और उसने हत्यारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। उल्लेखनीय है कि अलावी पहले मुसलमान था और बाद में धर्मांतरण करके वह ईसाई बन गया था। इसलिए मदनी उसे जान से मारना चाहता था।

भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश

इस्लामी आतंकवादी संगठन सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के फौरन बाद अपना चोला बदल लेते हैं। यही कारण है कि जब इस्लामिक सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा तो उसने अल उम्मा और जिहाद कमेटी का लबादा ओढ़ लिया। जब इन जिहादी संगठनों पर भी सरकारी शिकंजा कसा तो एक अन्य उग्रवादी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की आड़ ली गई। इस संगठन के खतरनाक इरादों के बारे में सिमी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. शाहिद बद्र फलाही ने दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिन्दुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए 1978 में कहा था कि भारत का इस्लामीकरण हमारा लक्ष्य है। हम भारत को दारूल हरब से दारूल इस्लाम बनाना चाहते हैं। सिमी के बिहार के जोनल सेक्रेटरी रियाजुल मुशाहिल ने पटना के टाइम्स ऑफ इंडिया (30 सितम्बर, 2001) में इंटरव्यू देते हुए साफ शब्दों में कहा कि 'हमारा संविधान कुरान है। अगर भारतीय संविधान कुरान के विपरीत है तो हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। हम हर हालत में कुरान को ही मानेंगे।'

प्रतिबंधित संगठन सिमी की स्थापना अलीगढ़ में अप्रैल 1977 में की गई थी। इसका लक्ष्य भारत को काफिरों के चंगुल से मुक्त करवाकर उसे एक इस्लामिक देश बनाना था। इस संगठन का लक्ष्य भारत को दारूल इस्लाम में बदलना था और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जबरन धर्मांतरण करना जरूरी माना गया। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया और उस पर 2001 में प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे सिमी ने न्यायालय में चुनौती दी। अगस्त 2008 में विशेष ट्रिब्यूनल ने हालांकि इस प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया। मगर कुछ दिनों के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में देखते हुए इसे पुनः लागू करने का आदेश दिया। फरवरी

शाहिद बद्र फलाही

2019 में भारत सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध की अवधि को गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक एक्ट के तहत पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि जिस पॉपुलर फ्रंट ने देश भर में उत्पात मचा रखा है उसका अधिकांश कैडर सिमी से ही संबंधित है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि प्रारम्भ में सिमी का गठन विवादित संगठन जमात-ए-इस्लामी के छात्र विंग के रूप में किया गया था। मगर बाद में एक नीति के तहत विदेशी शक्तियों के इशारे पर जमात-ए-इस्लामी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया और अपना एक अन्य इस्लामिक छात्र संगठन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसआईओ) खड़ा कर लिया। यह कदम इसलिए उठाया गया था कि अगर भारत सरकार सिमी पर कभी प्रतिबंध लगाती है तो उसका कैडर इस नए संगठन की आड़ में अपनी देशद्रोही गतिविधियों को जारी रखेगा। अजीब बात यह है कि सिमी के अधिकांश पदाधिकारी जमात-ए-इस्लामी से संबंधित रहे हैं। इस तथ्य को जमात-ए-इस्लामी का नेतृत्व भी दबी जुबान में स्वीकार करता है।

सिमी की पृष्ठभूमि के बारे में अधिकांश लोग वाकिफ नहीं हैं इसलिए इस पर कुछ प्रकाश डालना अति आवश्यक है। 25 अप्रैल, 1977 को इस जिहादी संगठन की नींव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर में स्थित शमशाद मार्केट में रखी गई थी और इसके संस्थापक डॉ. अहमद उल्लाह सिद्दीकी थे। जब सरकार की इस

संगठन पर वक्र दृष्टि हुई तो सिद्दीकी भागकर अमेरिका चला गया और इस समय वह अमेरिका की वेसटर्न इलिनोइस यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। सबसे रोचक बात यह है कि 1981 में जब फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत दौरे पर आए थे तो उनके खिलाफ सिमी से संबंधित कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में काले झंडों का प्रदर्शन किया था। उनका यह आरोप था कि यासिर अराफात अरबों के असली नेता नहीं है बल्कि वे पश्चिमी देशों की कठपुतली हैं। हैरानी की बात यह है कि जमात-ए-इस्लामी की ओर से यासिर अराफात का जोरदार स्वागत किया गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद सिमी और जमात-ए-इस्लामी के बीच मतभेदों की शुरुआत हुई। जमात-ए-इस्लामी को एक और झटका तब लगा जब ईरान में 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति का सिमी के नेताओं ने खुलकर समर्थन किया। जमात-ए-इस्लामी को इसका इसलिए विरोध करना पड़ा क्योंकि जमात-ए-इस्लामी पर सुन्नी सम्प्रदाय का वर्चस्व था और इसके तार कुख्यात सुन्नी इस्लामिक संगठन मुतम्मर इस्लामी से जुड़े हुए हैं, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा शहर में स्थित है। सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध जगजाहिर हैं। जबकि ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के पीछे रूस का हाथ बताया जाता था। कहा जाता है कि अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी सीआईए के अरब जगत में बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए रूस की गुप्तचर एजेंसी केजीबी ने ईरान के शाह का तख्ता पलटने व ईरान की इस्लामिक क्रांति में पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शायद इसका लक्ष्य अमेरिका को ईरान के पेट्रोल के भंडारों से वंचित करना था।

सिमी का नेतृत्व प्रारम्भ से ही भारतीय संविधान के मूल आधार धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता का खुलकर विरोधी रहा है। क्योंकि ये तीनों कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। सिमी का यह घोषित लक्ष्य था कि इस्लाम की सर्वोच्चता को बहाल करने के लिए जरूरी है कि इस्लामी खिलाफत की पुनर्स्थापना हो और दुनिया भर के मुसलमानों को उम्मा के रूप में संगठित किया जाए और विश्व भर में इस्लाम के इकबाल को बुलंद करने के लिए जिहाद शुरू की जाए। सिमी के एक पूर्व प्रमुख सईद खान का दावा है कि देश में 1980 से

1990 के बीच हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण सिमी को खुलकर आतंकवाद की नीति अपनानी पड़ी। बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने के बाद सिमी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए और इस्लामिक जिहाद की भावना को हवा दी। सिमी की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और उससे संबंधित संगठनों को विशेष रूप से हिंसा का निशाना बनाया गया। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रव्यापी दंगों की योजना सिमी ने बनाई थी और उसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया था। यही कारण है कि भारत सरकार ने सिमी के कैडर के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई की।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक तीन बार सिमी पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है। अमेरिका में हुए अलकायदा के हमले के बाद पहली बार प्रतिबंध 26 सितंबर, 2001 को लगाया गया। इसके बाद दूसरी बार सिमी पर 28 सितंबर, 2005 से लेकर 7 फरवरी, 2006 तक प्रतिबंध लगाया गया। मगर जब अपनी गिरफ्तारियों को सिमी के अनेक कार्यकर्ताओं ने न्यायालयों में चुनौती दी तो भारत सरकार को यह प्रतिबंध हटाना पड़ा। तब सरकार का यह तर्क था कि इन प्रतिबंधों के कारण अब सिमी की हिंसक और जिहादी गतिविधियों में कमी आई है। मगर बाद में गुप्तचर विभाग ने जब इस प्रतिबंध का पुनर्निरीक्षण किया तो उन्हें अपनी राय बदलनी पड़ी। 27 जुलाई, 2006 में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि ने गैरकानूनी गतिविधि निरोधक ट्रिब्यूनल को बताया कि हाल ही में सिमी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में तेजी आई है और देश भर में हुए बम धमाकों और साम्प्रदायिक दंगों में इस संगठन का हाथ पाया गया है। इसलिए भारत सरकार को इस पर तीसरी बार पुनः प्रतिबंध लगाना पड़ा। मगर यह प्रतिबंध भी न्यायालय में टिक नहीं सका। दिल्ली उच्च न्यायालय की ट्रिब्यूनल ने 5 अगस्त, 2008 को इस प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश गीता मित्तल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सिमी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में सरकार ने जो प्रमाण न्यायालय में पेश किए हैं वह इस प्रतिबंध को जारी रखने के लिए काफी नहीं हैं। भारत सरकार ने यह दावा किया कि सिमी का कैडर अब 20 अन्य संगठनों की आड़ में अपनी राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है। अगले ही दिन दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय के

खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को जारी रखने का निर्देश जारी किया।

इस संदर्भ में सबसे रोचक बात यह है कि सिमी का कैडर कानून के चंगुल से बचने के लिए जिन 20 संगठनों की आड़ में सक्रिय था उनमें से पांच संगठन मुख्य थे। इनमें खैर-ए-उम्मत ट्रस्ट, तहरीक ए अह्या-ए-उम्मत (टीईयू) तहरीक-तलाबा-ए-अरबिया (टीटीए), तहरीक-ए-तहफ्फुज ए-शरिया-ए-इस्लाम (टीटीएसआई) और वहादत-ए-इस्लामी प्रमुख हैं।

गुप्तचर एजेंसियों का यह भी दावा है कि सिमी के कैडर का संबंध कुख्यात आतंकवादी संगठन अलकायदा से है। अलकायदा के इशारे पर सिमी के कैडर ने एक अन्य आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का गठन किया था, जिसका हाथ देश में हुए अनेक आतंकवादी हमलों के पीछे बताया जाता है। गुप्तचर एजेंसियों का यह भी दावा है कि सिमी के पूर्व महामंत्री सफदर नागोरी के भाई कमरूद्दीन नागोरी के माध्यम से पाकिस्तान के कुख्यात गुप्तचर संगठन आईएसआई से भी इनका संपर्क था। दिल्ली पुलिस ने इस संदर्भ में दोनों भाईयों के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया था। 2006 में कानपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में भी सिमी की उत्तर प्रदेश ईकाई के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर का हाथ पाया गया था। पुलिस ने अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के मास्टर माइंड सिमी के नेता

सफदर नागोरी

अब्दुल बशर कासमी को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। गुप्तचर एजेंसियों का दावा है कि सिमी को जिन विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से मोटी आर्थिक सहायता मिलती रही है, उनमें रियाद स्थित वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ मुख्य है। इसके अतिरिक्त इस जिहादी संगठन को कुवैत में स्थित एक अन्य जिहादी संगठन इंटरनेशनल इस्लामिक फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी मोटी आर्थिक सहायता मिलती रही है। अमेरिका स्थित कमेटी ऑफ इंडियन मुस्लिम से भी इस संगठन को आर्थिक सहायता काफी मात्रा में मिली है। सिमी का संबंध जमात-ए-इस्लामी की पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की शाखाओं से भी पाया गया है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में अत्यंत सक्रिय अन्य जिहादी संगठन इस्लामी छात्र शिबिर से भी संबंध पाया गया है। एक अन्य आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से भी उन्हें आर्थिक और अस्त्र-शस्त्रों से सहायता मिली है। कहा जाता है कि सिमी के आतंकवादी जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जंगलों में स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के गुप्त शिविरों में गुरिल्ला युद्ध के प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं। सिमी के महाराष्ट्र से संबंधित तीन कार्यकर्ता शेख आसिफ सुपदु, शेख खालिद इकबाल और शेख मोहम्मद हनीफ किश्तवाड़ में हुए मुठभेड़ में मारे गए थे। गुप्तचर एजेंसियों का दावा है कि सिमी ने आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी के लिए उत्तर प्रदेश के अनेक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ आदि से आतंकवादियों की भर्ती की। हाल की जांच के अनुसार खाड़ी देशों में सक्रिय आतंकवादी इस्लामिक संगठन जमीयत उल-अंसार से भी सिमी का सम्पर्क पाया गया है। गुप्तचर एजेंसियों का यह भी दावा है कि सिमी का संबंध कई आतंकवादी इस्लामिक संगठनों से है, जिनमें केरल स्थित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस्लामिक यूथ सेंटर और तमिलनाडु में सक्रिय मुस्लिम मुनेत्र कषगम का नाम मुख्य है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हाल ही में सिमी ने खालिस्तानी उग्रवादियों के साथ भी अपने संबंध बढ़ाए हैं। यही कारण है कि दिल्ली के शाहीन बाग और देश के विभिन्न भागों में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए धरनों में खालिस्तानी तत्वों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित

संगठन सिमी का कैडर अब भी जिहादी और आतंकवादी गतिविधियों में जुटा हुआ है। सरकार का दावा है कि 2006 में सिमी का एक पदाधिकारी नूर-उल-हूदा 2006 में मालेगांव में हुए बम धमाकों के सिलसिले में पकड़ा गया था। इन बमों को सिमी से जुड़े हुए लोगों ने तैयार किया था। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने सिमी पर प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पृथकतावादी संगठन है। 2008 में सिमी के पूर्व महामंत्री सफदर नागोरी और एक अन्य नेता आमिर परवेज को 12 अन्य आतंकवादियों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया था। 2014 में भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक एक्ट के तहत इस पर पांच वर्ष के लिए और प्रतिबंध लगा दिया। 7 अप्रैल, 2015 में सिमी के पांच कार्यकर्ताओं को जब नालगोंडा जेल से वारंगल जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तो उन्होंने पुलिस की हिरासत से भागने का प्रयास किया। पुलिस का दावा है कि उन्होंने पुलिस के पहरेदारों से इस दौरान अस्त्र-शस्त्र छीनने का प्रयास किया था। इस मुठभेड़ में सिमी के ये पांचों आतंकी मारे गए। 31 अक्टूबर, 2016 में भोपाल जेल से सिमी के आठ आतंकियों ने भागने का प्रयास किया था। भागने से पूर्व उन्होंने एक हवलदार को मौत के घाट उतार दिया था। मगर भोपाल से दस किलोमीटर दूर हुई एक मुठभेड़ में ये सभी आतंकी मारे गए। 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से संबंधित न्यायालय ने सिमी के 18 कार्यकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थों के कानून के तहत विभिन्न सजाएं दीं। इनमें से 13 को प्रतिबंधित सिमी संगठन से संबंध रखने के आरोप में न्यायालय ने दंडित किया।

सिमी ने आतंकवादी जिहादी संगठनों के लिए नए कैडर की भर्ती व्यापक पैमाने पर शुरू कर दी है। कहा जाता है कि देश के दस हजार से अधिक इस्लामिक मदरसों के तार सिमी से जुड़े हुए हैं। इन मदरसों का जाल केरल, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र, असम आदि में फैला हुआ है। सिमी के जिहादियों ने अपने जिहादी कैडर से सम्पर्क बनाने के लिए मदरसों के साथ-साथ मुस्लिम युवा क्लबों, पुस्तकालयों और विभिन्न खेल संगठनों की भी स्थापना की है, जिनकी आड़ में वे नया कैडर भर्ती कर रहे हैं। सफदर नागौरी ने एक साक्षात्कार में अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की वकालत करते हुए कहा कि वह आतंकवादी

नहीं बल्कि इस्लाम का हीरो है। सिमी जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती। यही कारण है कि जब मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटा और धारा 370 को अप्रभावकारी बना दिया तो सिमी के कैडर ने इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए। सिमी के उकसाने पर खालिस्तानियों ने पंजाब में अनेक स्थानों पर हड़ताल की और काले झंडों का प्रदर्शन किया। जब हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को संसद में पारित किया गया तो उसके खिलाफ पंजाब के कई नगरों में हड़ताल करवाने का प्रयास किया गया। अनेक स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए। सिमी द्वारा इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह दलितों और कुछ अन्य सम्प्रदायों को भी अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए।

आतंकी संगठनों के बदलते रूप

इस्लामिक सेवक संघ और सिमी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जो मुस्लिम कट्टरपंथी देश में इस्लामिक खिलाफत की पुनर्स्थापना करने का स्वप्न देख रहे थे, उन्होंने एक साथ ही तीन इस्लामिक संगठन बना डाले। इनमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट और डिफेंस फ्रंट शामिल हैं। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का एक सक्रिय सदस्य सैफुद्दीन यह स्वीकार करता है कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद केरल के मुसलमानों में आतंकी संगठनों ने यह धुआंधार प्रचार किया था कि देश में मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में है इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा और इस्लाम के बचाव के लिए जिहाद का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरान के अनुसार इस्लाम और मोहम्मद की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि मुसलमान हथियार उठाकर जिहाद की शुरुआत करें ताकि कुफ्रिस्तान भारत को दारूल इस्लाम में बदला जा सके। इस प्रचार को प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक सेवक संघ और सिमी के कार्यकर्ताओं ने खूब हवा दी। इस प्रचार से प्रभावित होकर केरल के मुसलमान युवक भारी संख्या में जिहाद फी सबिलिल्लाह (अल्लाह की राह में जिहाद) के लिए मैदान में कूद पड़ें।

सैफुद्दीन मलप्पुरम जिला के गांव निलाम्बुर का रहनेवाला है। उसका परिवार मुजाहिद वर्ग से संबंधित है जो कि सुन्नी सम्प्रदाय से सम्बद्ध है। सुन्नी सम्प्रदाय से मुजाहिद इसलिए नाराज हुए क्योंकि उन्हें इस बात की शिकायत थी कि सुन्नी इस्लाम विरोधी अंधविश्वासों के जाल में फंसे हुए हैं। उस समय मुस्लिम समाज में हिन्दू संगठनों का मुकाबला करने के लिए बड़ी तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा था। सैफुद्दीन यह स्वीकार करता है कि 1991 में वह जिस संगठन का सदस्य बना वह तीन विभिन्न नामों से काम कर रहा था। ये नाम इसलिए रखे गए थे ताकि समय आने पर वे कानूनी शिकंजे से बच सकें। पहले इस संगठन को नेशनल

ईसाई अध्यापक टी.जे. जोसफ

डेमोक्रेटिक फ्रंट का नाम दिया गया। फिर इसे नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का रूप दिया गया और उसके बाद इसे आम तौर पर डिफेंस फ्रंट के रूप में जनता में प्रचारित किया गया। यह संगठन 2010 में एक विवाद का शिकार तब हुआ जब उससे संबंधित कुछ युवकों ने केरल के एक कॉलेज के ईसाई अध्यापक टी.जे. जोसफ के हाथ इसलिए काट दिए क्योंकि उसने एक प्रश्न पत्र में छात्रों से एक ऐसा प्रश्न पूछा था जो कि पैगम्बर मोहम्मद के लिए अपमानजनक था। इस घटना के बाद मुस्लिम वर्ग में इस संगठन का प्रभाव बढ़ा। केरल के बाहर से आए कुछ लोगों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गुप्त बैठकों का एक सिलसिला शुरू किया, जिनमें कुरान का हवाला देकर युवा वर्ग को सशस्त्र जिहाद के लिए उकसाया गया। इस संगठन से जुड़े व्यक्ति ने पत्रकारों से बात करते हुए यह स्वीकार किया कि इन इस्लामिक प्रचारकों के जहरीले प्रचार के कारण उसे माथे पर चंदन लगाए और यज्ञोपवीत धारण करने वाला हर व्यक्ति इस्लाम और मोहम्मद का दुश्मन नजर आता था। इस प्रचार के कारण केरल के मुसलमानों में कट्टरवाद में भारी वृद्धि हुई और उन्होंने मलयाली वेश-भूषा छोड़कर अरबी वेश-भूषा पहननी शुरू कर दी। इसके साथ ही इस्लामिक दाढ़ियां रखने का भी चलन तेजी के साथ शुरू हुआ। केरल की महिलाएं आमतौर पर पर्दा नहीं करती थीं। जब वे हज इत्यादि के लिए अरब जाती थीं तभी उन्हें उत्तर भारत से मंगवाया हुआ बुर्का पहनना पड़ता था। मगर

अब उनमें बुर्का और हिजाब का प्रचलन बड़ी तेजी से शुरू हुआ। इसके साथ ही केरल में तब्लीगी जमात ने भी अपने पैर पसारने शुरू किए। मुसलमानों में इस बात का प्रचार किया गया कि वे सच्चे और कट्टर मुसलमान बनें। कुरान का पालन करें और सुन्नाह को अपनाएं।

तिरूवनंतपुरम स्थित विकास अनुसंधान केन्द्र के सर्वेक्षण के अनुसार 2011 में केरल के मुस्लिम परिवारों को अरब देशों में कार्यरत लोगों से 23,089 करोड़ रुपये की धनराशि एक वर्ष में प्राप्त हुई थी। यह कुल प्राप्त धनराशि 49,695 करोड़ रुपये का 46.5 प्रतिशत था। औसतन प्रत्येक मुस्लिम परिवार को 1,35,111 रुपये प्राप्त हुए। मलप्पुरम के मुस्लिम परिवारों को सबसे ज्यादा धनराशि विदेशों से प्राप्त होती है। इसके साथ ही मालाबार क्षेत्र में इस्लामिक विश्वविद्यालयों, मदरसों और मस्जिदों का जाल बिछ गया। अरब देशों में बढ़ते हुए वहाबीवाद और सलाफीवाद की कट्टरता का भी मुस्लिम समाज पर प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में 38 इस्लामिक चैनल दिन-रात कट्टरवाद का प्रचार कर रहे हैं। केरल में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनडीएफ) इतनी तेजी से फैला कि मुस्लिम लीग का युवा विंग भी उसमें शामिल हुआ। सबसे खास बात यह है कि एनडीएफ की सदस्यता पूर्ण रूप से गोपनीय थी। अब्दुल नासिर मदनी ने अपने जहरीले भाषणों से साम्प्रदायिकता और हिंसा को भड़काया। केरल में मुस्लिम उग्रवाद का जो ज्वार उठा उसके कारण कई और आतंकवादी संगठन भी सक्रिय हो गए। हालांकि इससे पूर्व भी मालाबार क्षेत्र शुरू से ही इस्लामिक उग्रवाद का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। सौ वर्ष पूर्व खिलाफत आंदोलन के दौरान केरल में मुस्लिम लीगियों ने दुनिया में पुनः खिलाफत की स्थापना करने के लिए निर्दोष हिन्दुओं के खून से होली खेली थी। इन साम्प्रदायिक दंगों में ढाई हजार से अधिक हिन्दू मारे गए थे और हजारों हिन्दू महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया था। दुःख की बात यह है कि इन घटनाओं की निंदा करने की बजाय महात्मा गांधी और उनके साथी इस हिन्दू उत्पीड़न पर मूकदर्शक बने रहे।

सुन्नी मुसलमानों के प्रमुख संगठन समस्त केरल जमीयत उल उलेमा नामक संगठन का 1989 में विभाजन हुआ। इस विभाजन का मुख्य कारण इस संगठन के दो नेताओं में आपसी वर्चस्व की होड़ थी। एक गुट ने अपना नाम ई.के.

सुन्नी रखा। इसके नेता ई.के. अबु बकर मुस्लियार थे जबकि दूसरे गुट के नेता ए. पी. अबु बकर मुस्लियार थे। इन दोनों गुटों के कारण केरल में मुस्लिम राजनीति ने भीषण कट्टरवादी रूप धारण किया। इन दोनों के तार सऊदी अरब के जिहादी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस समय ई.के. सुन्नी गुट का नेतृत्व सैयद जाफरी मुथुकोया थंगल के हाथ में है। केरल में मुसलमानों की जनसंख्या 26 प्रतिशत है और वे विभिन्न संगठनों में विभाजित हैं। सबसे कट्टरवादी संगठन का नाम केरल नदवाथुल मुजाहिदीन है, जिसके तार सऊदी अरब के सलाफी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हाल ही में सऊदी अरब के संकेत पर इन दोनों संगठनों के बीच एकता का प्रयास शुरू हुआ था। मगर अभी तक वह सफल नहीं हो सका। बताया जाता है कि सऊदी अरब के संगठनों ने ई.के. सुन्नी गुट के नेता सैयद जाफरी मुथुकोया थंगल पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वह ए.पी. गुट के नेता सैयद खलील बुखारी थंगल से मिलकर एकजुट होने का प्रयास करें। मगर अभी तक यह प्रयास सफल नहीं हुए हैं। अगर सुन्नी मुसलमान एकजुट हो जाते हैं तो उसका केरल की मुस्लिम राजनीति पर भारी प्रभाव पड़ेगा। इस समय केरल मुस्लिम लीग तीन प्रमुख गुटों में विभाजित है। इनमें से ई.के. सुन्नी गुट का गठबंधन सीपीआई (एम) के नेतृत्व में गठित लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ है। जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का संबंध कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन से है।

जहां तक नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (एनडीएफ) का संबंध है यह मुख्य रूप से केरल में 1994 में स्थापित किया जाने वाला एक मुस्लिम संगठन था जिसका बाद में 2006 में पॉपुलर फ्रंट में विलय हो गया। इसका विधिवत घोषित लक्ष्य अल्पसंख्यकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना था। इस संगठन ने यह भी घोषणा की कि वह गैर मुसलमानों में इस्लाम की दावत के अभियान को बड़ी तेजी से शुरू करेगा। इस्लाम की तब्लीग के कार्यक्रम पर एनडीएफ के सुप्रीम काउंसिल के एक सदस्य पी. कोया ने फ्रंट के मुखपत्र 'तेजस' में एक विस्तृत लेख भी लिखा। एनडीएफ का नारा था स्वातंत्र्यम-नीति-सुरक्षा (स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा)। मालाबार और केरल के अन्य क्षेत्रों में इस संगठन ने प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को भी शामिल कर लिया और इस बात पर

जोर देना शुरू किया कि वह अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। अजीब बात यह है कि इस संगठन के एक प्रमुख प्रो. पी. कोया सिमी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। अपनी आतंकवादी गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए इस संगठन ने 1997 में कोझीकोड में एक मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया और मानवाधिकारों के महासंघ की नींव रख दी। इस संगठन का संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वाच इंटरनेशनल से जोड़ा गया। जनता में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केरल के सभी नगरों में विशाल परेडों का आयोजन किया और यह नारा लगाया कि 'स्वाधीनता के रक्षक बनो।' इस संगठन ने बड़े शातिराना ढंग से समाज के अन्य वर्गों दलितों और पिछड़ी जातियों में भी अपने पैर फैलाने शुरू किए। जगह-जगह प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। रैलियां निकाली गई, जिनमें पुलिस के उत्पीड़न, सरकारी सत्ता के दुरूपयोग और सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और दलितों की भागीदारी के मुद्दे को बड़े शातिराना ढंग से उठाया गया और यह प्रचार किया गया कि सरकार मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन कर रही है।

2003 में मराड हत्याकांड के बारे में जब थॉमस पी. जोसफ आयोग ने जांच की तो इस बात का पर्दाफाश हुआ कि गरीब मल्लाहों की हत्या में मुस्लिम लीग और एनडीएफ का सक्रिय हाथ है। राज्य मार्क्सवादी पार्टी के तत्कालीन सचिव पी. विजयन ने कहा कि एनडीएफ एक आतंकवादी संगठन है, जिसने सुनियोजित तरीके से मासूमों की हत्या की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कट्टरवादी संगठन उन उदारवादी मुसलमानों को भी अपना निशाना बना रहा है जो कि कट्टरवाद का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी यह आरोप लगाया कि इस संगठन का पाकिस्तान के गुप्तचर संगठन आईएसआई से गहरा संबंध है। भाजपा ने एनडीएफ और आईएसआई के सम्पर्कों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। आईपीएस अधिकारी सुश्री नीरा रावत ने मराड न्यायिक जांच आयोग के सामने प्रमाण पेश करते हुए कहा कि पुलिस ने 1997-1999 तक की अवधि में इस बात की गोपनीय रूप से जांच की थी कि पाकिस्तान की आईएसआई और ईरान से एनडीएफ को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इसी आयोग के सामने

गवाही देते हुए एर्नाकुलम पुलिस की विशेष शाखा के एसीपी ए.वी. जॉर्ज ने 29 अक्टूबर, 2005 को बताया कि अवैध शस्त्र बेचने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी दी थी कि एनडीएफ को छापा मार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी सूत्रों से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की थी कि गत कई वर्षों से एनडीएफ अपने कैडर को पाकिस्तान भेजता आ रहा है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि एनडीएफ के कैडर ने कोट्टक्कल पुलिस थाने पर, जो मलप्पुरम जिले में स्थित है, 23 मार्च, 2007 को हमला किया था क्योंकि वे पुलिस द्वारा पकड़े गए अपने दो कार्यकर्ताओं को छुड़ाना चाहते थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करके इस हमले को विफल बना दिया और इस हमले के संबंध में फ्रंट के 27 कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में लिया था। पाकिस्तानी संसद का एक सांसद मोहम्मद थाहा 29 अप्रैल, 2007 को थालास्सेरी के एक होटल में ठहरा। उसके दौरे का उद्देश्य एनडीएफ और कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों के नेताओं से मुलाकात करना था। इस सांसद का संबंध पाकिस्तान के प्रमुख उग्रवादी संगठन मुताहिदा मजलिस-ए-अमल से बताया जाता था। इस घटना के खिलाफ भाजपा और संघ परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने थालास्सेरी में जबर्दस्त प्रदर्शन किया था।

इजरायल की हाइफा विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग के प्रमुख डेविड बुके ने अपनी रिपोर्ट में एनडीएफ को कट्टरवादी और ध्वंसकारी संगठन की संज्ञा दी। 11 जुलाई, 2006 को जब मुंबई की रेलगाडियों में बमों के अनेक धमाके हुए तो एनडीएफ गुप्तचर संगठनों की निगरानी में आई। यह भी कहा जाता है कि एनडीएफ ने मुस्लिम समाज में शरिया का प्रचार किया और उनमें तालिबान की कट्टर विचारधारा का प्रचार किया। अनेक ऐसे मुसलमानों से मारपीट की गई जो कि शराब पीते थे और रोजा नहीं रखते थे या फिर पर्दा नहीं करते थे। हालांकि एनडीएफ ने मराड हत्याकांड में लिप्त होने के आरोप से इनकार किया था और कहा था कि इस संदर्भ में जो लोग पकड़े गए हैं उनसे उनके संगठन का कोई संबंध नहीं है। बहाना यह बनाया गया कि पुलिस जानबूझकर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के कारण मासूम मुसलमानों को झूठे आरोपों में फंसा रही है। एनडीएफ के प्रवक्ता ने मीडिया पर भी एकपक्षीय प्रचार करने का आरोप लगाया।

क्या है मराड हत्याकांड?

2 मई, 2003 को केरल के कोझीकोड जिले के मराड तट पर रहने वाले हिन्दू मल्लाहों पर एक मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था और आठ हिन्दुओं की हत्या कर दी थी। झगड़े की शुरुआत एक मुसलमान मोहम्मद असगर के एक दुर्घटना में जख्मी होने से हुई थी। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग गठित किया था उसने अपनी रिपोर्ट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीडीपी और एनडीएफ को दोषी ठहराया था। न्यायालय ने इस संदर्भ में 62 मुसलमानों को आठ व्यक्तियों की हत्या करने के आरोप में 2009 में उम्रकैद की सजा दी। जिन लोगों को सजा हुई उनका संबंध इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट से था। एक मस्जिद के अंदर से भारी मात्रा में बम और तलवारें भी बरामद हुई थीं। पुलिस का कहना था कि मुसलमानों का इरादा इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर हत्याएं करने का था।

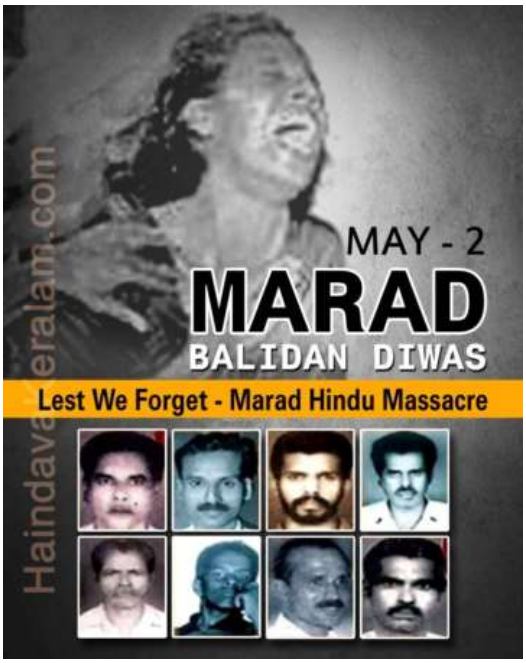

पॉपुलर फ्रंट का उभार

देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ है वह काफी चौंकाने वाला है। यह सच है कि शाहीन बाग और राजधानी के अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गत दो महीनों से धरने चल रहे थे। मगर प्रारम्भ में हुई गोलीबारी आगजनी, पत्थरबाजी व हिंसा के बाद दो महीने तक शांति रही। आखिर क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के राजधानी में कदम रखते ही साम्प्रदायिक दंगों की भीषण ज्वाला भड़क उठी। क्या इसकी योजना विदेशी शक्तियों ने इसलिए बनाई थी कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे होते हुए संबंधों पर चोट पहुंचाई जाए। अमेरिका हो या कोई अन्य पश्चिमी देश उनमें मानवाधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। क्या मानवाधिकार हनन का बेसुरा राग भारत को विदेशों में बदनाम करने के लिए नहीं अलापा जा रहा था? क्या कुछ विदेशी ताकतें यह नहीं चाहती थीं कि अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के लिए हमारे देश में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करे। इसके अतिरिक्त यह चर्चा भी काफी दिनों से गर्म थी कि तेल उत्पादक देश भारत में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उन्हें इससे दूर रखने के लिए देश में साम्प्रदायिक दंगे करवाए गए? क्या यह षड्यंत्र झूठा प्रचार करने के लिए किया गया कि इस देश में अल्पसंख्यक और विशेष रूप से मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं? दिल्ली में 45 से भी अधिक लोगों के दंगों में मारे जाने की सरकारी तौर पर पुष्टि की गई है, जिनमें अनेक हिन्दू हैं। इसके अतिरिक्त यह भी दावा किया गया है कि दंगाईयों के पास अवैध अस्त्र-शस्त्र, पेट्रोल बम और अन्य विस्फोटक पदार्थों के विशाल भंडार थे। सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये भंडार एक ही दिन में इक्ट्ठे हो गए थे। कैसे इन अवैध हथियारों को पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में लाया गया?

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध तो सिर्फ एक बहाना है। भारत विरोधी शक्तियां लम्बे समय से देश में हिंसा और साम्प्रदायिक दंगों की ज्वाला भड़काने की तैयारी कर रही थीं। आश्चर्य है कि गुप्तचर एजेंसियों को इन देशद्रोही तत्वों की खतरनाक तैयारियों के बारे में भनक तक नहीं लगी। सवाल यह पैदा होता है कि देश भर में नागरिकता कानून के विरोध के बहाने किए गए दंगों में कई लोग मारे गए हैं और अरबों रुपये की संपत्ति नष्ट हुई है, उसके लिए दोषी कौन है? क्या केन्द्र सरकार इस तथ्य की उच्चस्तरीय जांच करवाएगी कि केन्द्र और राज्य सरकारों की गुप्तचर एजेंसियों के देश के चप्पे-चप्पे पर डेरे डाले हुए गुप्तचर फील्ड स्टाफ ने इन दंगों की तैयारियों के संबंध में कोई रिपोर्ट दी थी? अगर फील्ड स्टाफ ने कोई रिपोर्ट दी थी तो वह कौन अधिकारी थे जिन्होंने इन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई करने की बजाए उन्हें दबा दिया। इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या भूमिका थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

सरकार ने यह भी दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट का संबंध विदेशों में सक्रिय 20 आतंकवादी इस्लामिक संगठनों से है और उनसे इसे निरंतर सहायता प्राप्त होती रही है। 2019 के अंतिम सप्ताह में फ्रंट और उससे संबंधित खातों में 120 करोड़ रुपये नकद जमा हुए थे, जिनका इस्तेमाल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन में किया गया। गुप्तचर संगठनों का यह भी दावा है कि संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब देशों में 20 से ज्यादा फ्रंट संगठनों के कार्यालय हैं, जिनके माध्यम से फ्रंट को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। फ्रंट से जुड़े

हुए कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इन अरब देशों से फंड एकत्र करने के लिए बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब का रहस्यमय ढंग से दौरा किया था। फ्रंट के कितने सदस्य हैं हालांकि इसके बारे में कोई अधिकृत आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किंतु इसके सक्रिय कार्यकर्ता जिन्हें अंसार कहा जाता है, उनकी संख्या 30 हजार के करीब बताई जाती है, जिनका मकड़जाल देश भर में फैला हुआ है। हाल ही में पॉपुलर फ्रंट का एक कार्यालय मालदीव में स्थापित किया गया है। गुप्तचर सूत्रों ने यह दावा किया है कि इस कार्यालय के माध्यम से फ्रंट को चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान से नियमित रूप से सहायता प्राप्त होती है। कुछ समय पूर्व दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पॉपुलर फ्रंट का एक विशाल सम्मेलन हुआ था जिसमें 20 हजार लोगों के भाग लेने का दावा किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस सम्मेलन की आड़ में नक्सलियों, खालिस्तानियों और भीम सेना से भी संपर्क साधे गए। अरब जगत के कुख्यात आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से भी पॉपुलर फ्रंट के गहरे संबंध होने का संकेत इस बात से मिलता है कि जब कुछ वर्ष पूर्व मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सेना ने बर्खास्त किया तो उसके खिलाफ फ्रंट की ओर से दिल्ली स्थित मिस्री दूतावास के बाहर जबर्दस्त प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य

में जो दंगे भड़के हैं उनके पीछे एक गुमनाम संगठन पॉपुलर फ्रंट का हाथ है। पुलिस ने इस खतरनाक संगठन से जुड़े हुए 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया था। दंगाईयों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ में बेगम पुल से दो व्यक्तियों सुहैल त्यागी (सहारनपुर) और दिलनवाज खान (मेरठ) को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 40 लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस द्वारा पूछताछ में उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह धनराशि वे देवबंद में रहने वाले कुछ लोगों को पहुंचाने जा रहे थे और इस धनराशि को नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों में आने वाले लोगों को बांटना था। पुलिस ने दिल्ली से फ्रंट के एक नेता परवेज अहमद को हाल ही में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इसके माध्यम से फ्रंट के नेताओं ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी संपर्क साधा था। इसी तरह से दिल्ली से प्रकाशित उर्दू समाचारपत्र 'इंकलाब' के 3 फरवरी के अंक में प्रकाशित एक समाचार में दावा किया गया है कि पुलिस ने एक बस के अंदर रखा हुआ ढाई क्विंटल विस्फोटक पदार्थ बरामद किया था। इस विस्फोटक पदार्थ का उपयोग बम बनाने में होने वाला था। इन बमों का इस्तेमाल साम्प्रदायिक दंगों में करने की तैयारी थी।

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि पॉपुलर फ्रंट द्वारा देश में दंगे भड़काने की साजिश का सबसे पहले पर्दाफाश असम में हुआ। वहां पर

अमीनुल हक

इस संगठन से जुड़े हुए अनेक लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें पॉपुलर फ्रंट का असम प्रदेश अध्यक्ष अमीनुल हक भी शामिल था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि पॉपुलर फ्रंट ने अपने पक्ष में मीडिया में समाचार अभियान चलाने के लिए राज्य के दर्जनों पत्रकारों को मोटी रकम बांटी थी। इस संदर्भ में एक स्थानीय चैनल के पत्रकार शेख तमौली को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पॉपुलर फ्रंट के पूर्वोत्तर भारत में साम्प्रदायिक दंगों की ज्वाला भड़काने के खतरनाक मंसूबे उजागर हुए।

पॉपुलर फ्रंट का मकड़जाल देश भर में फैला हुआ है। यही कारण है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। मंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर और कोयंबटूर में मुस्लिम सम्प्रदाय ने दंगा भड़काने का जबर्दस्त प्रयास किया। दु:ख की बात यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ जनाक्रोश भड़काने के लिए मासूम बच्चों तक का इस्तेमाल किया गया। सबसे अजीब बात यह है कि विदेशी धन के बल पर पॉपुलर फ्रंट के कर्णधारों ने कुछ खालिस्तानियों और भीम सेना के नेताओं को भी पटा लिया। दिल्ली में इन दोनों तत्वों ने खुलकर मुसलमानों का साथ दिया। यही ड्रामा हैदराबाद और मंगलुरु में भी दोहराया गया।

अधिकांश देशवासियों के लिए पॉपुलर फ्रंट नामक इस खतरनाक संगठन के कारनामे अनजान हैं। गुप्तचर एजेंसियां इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं कि जिन विदेशी एजेंसियों के इशारे पर पॉपुलर फ्रंट का गठन किया गया है, वे भारत विरोध के लिए कुख्यात हैं। इस संगठन का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। जो कुछ होता है वह चुपचाप तथा रहस्यमय ढंग से होता है। हालांकि दावा यह किया जाता है कि इस संगठन की शाखाएं देश के 26 राज्यों में फैली हुई हैं। मगर इनके कार्यालयों के पते और इनके पदाधिकारियों के नाम कहीं उपलब्ध नहीं है। शायद इसका कारण यह है कि पॉपुलर फ्रंट के कर्ता-धर्ता यह ठाने हुए हैं कि यदि केन्द्र सरकार उनके संगठन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है तो सरकारी एजेंसियों के पास उनसे संबंधित कोई ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए जिसे वे न्यायालयों में पेश करके इस संगठन की खतरनाक भूमिका को प्रमाणित कर सकें। शायद यही कारण है कि दो वर्ष पूर्व झारखंड सरकार ने इस संगठन को अवैध

घोषित किया था, जिसे पॉपुलर फ्रंट ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। सुरक्षा एजेंसियां इस संगठन की देशद्रोही भूमिका के सबूत में पुष्ट प्रमाण न्यायालय में पेश करने के बावजूद न्यायाधीश को संतुष्ट नहीं कर सकीं। इसी कारण से झारखंड सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद पॉपुलर फ्रंट के आक्रामक रूख में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक अतिवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 2006 में केरल में की गई थी। इसकी स्थापना करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सरकार ने इस्लामिक सेवक संघ, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, नेशनल डिफेंस फ्रंट, सिमी आदि विदेशी धन पर पलने वाले इस्लामिक आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कानून के चंगुल से बचने के लिए इन इस्लामिक आतंकवादी तत्वों ने पॉपुलर फ्रंट का गठन करने की घोषणा की। खास बात यह है कि यह संगठन गत 14 वर्षों से प्रचार की चकाचौंध से दूर रहकर देश भर में अपने पैर पसार रहा है। अपने आतंकवादी इरादों पर पर्दा डालने के लिए इसने अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम का जामा ओढ़ रखा है। यह संगठन युवकों, महिलाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों के क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों से अपना जाल फैला रहा है। हाल ही में इसने नेशनल वूमेंस फ्रंट की स्थापना महिलाओं को जिहाद की ओर प्रेरित करने के लिए की है। छात्रों में अपना पैर फैलाने के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का वजूद भी लाया गया है। इस संगठन के आयोजकों के शातिराना दिमाग का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वे यह भलीभांति जानते हैं कि उनकी देशद्रोही गतिविधियों के कारण पुलिस उन पर किसी न किसी रूप में शिकंजा कसेगी। इसलिए उन्होंने अपना एक मानवाधिकार रक्षक संगठन भी बना डाला है, जिसका नाम नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है। यह संगठन मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। 2012 में इस संगठन की ओर से देश के अनेक राज्यों में गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था। हाल ही में एक सिख मुस्लिम संयुक्त मिशन की भी स्थापना की गई है। हालांकि यह दावा किया गया है कि इसका लक्ष्य देश में साम्प्रदायिक सद्भावना को

प्रोत्साहन देना है। मगर इसका असली उद्देश्य खालिस्तान समर्थक उन लोगों से गठजोड़ करना है जो कि इस देश में खालिस्तान की स्थापना का स्वप्न देख रहे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने जब कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय किया तो उसके खिलाफ पंजाब जैसे राज्य में भी विरोध हुआ। कई बार बंद का आयोजन किया गया और उग्र प्रदर्शन किए गए। शाहीन बाग में धरना देने वाली महिलाओं की मदद के लिए पंजाब से बसें भर-भरकर खालिस्तानी पहुंचे और उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए लंगर लगा दिया, जिसकी आड़ में पॉपुलर फ्रंट को इस बात का दुष्प्रचार करने का मौका मिला कि नागरिकता कानून का विरोध सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें अन्य सम्प्रदाय के लोग भी शामिल हैं।

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि 2012 में केरल सरकार ने उच्च न्यायालय में याचिका देकर इस बात पर जोर दिया था कि पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियां देश में आतंकवाद और पृथकतावाद को बढ़ावा दे रही हैं और इसके कैडर में प्रतिबंधित सिमी का खतरनाक कैडर भी मौजूद है। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा इस संगठन पर जुलाई 2010 में लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि की। केरल पुलिस ने उच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दिया, जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि पॉपुलर फ्रंट का संबंध तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से है। इस आरोप के प्रमाण के रूप में उन्होंने पॉपुलर फ्रंट के दफ्तरों से बरामद किया गया आतंकवादी साहित्य भी न्यायालय में पेश किया था। साफ है कि पुलिस की यह कार्रवाई फ्रंट को पसंद नहीं आई और उन्होंने मीडिया में पुलिस के इन छापों को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। केरल पुलिस ने उत्तरी केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित पॉपुलर फ्रंट के अनेक गुप्त शिविरों पर छापा मारा था और वहां से अस्त्र-शस्त्र, बम, विस्फोटक पदार्थ और बारूद यदि बरामद किए थे। पुलिस के इन आरोपों का फ्रंट ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके खंडन किया और कहा कि पुलिस जानबूझकर राजनीतिक दबाव के कारण उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। सबसे अजीब बात यह है कि कानून के चंगुल से बचने के लिए पॉपुलर फ्रंट ने अपना एक विस्तृत संविधान भी अधिकृत रूप से तैयार कर रखा है, जिसमें उसके संगठनात्मक ढांचे का विस्तृत

विवरण है। मगर इस खतरनाक संगठन के पदाधिकारी कौन-कौन हैं? किन-किन राज्यों में उनकी शाखाएं हैं? और इनके कितने सदस्य हैं? इसके बारे में मुंह खोलने के लिए इस संगठन का कोई जिम्मेवार अधिकारी तैयार नहीं है। कहा जाता है कि इस संगठन में अंसार के रूप में जो भी सदस्य भर्ती होता है उससे कुरान पर हाथ रखकर यह बैयत (शपथ) ली जाती है कि वह संगठन से संबंधित सभी गतिविधियों और उसके पदाधिकारियों के बारे में जुबान नहीं खोलेगा और उसे गोपनीय रखेगा। यही कारण है कि देश की गुप्तचर एजेंसियां भी अभी तक इस संगठन में घुसपैठ करके कोई वास्तविक जानकारी उपलब्ध करने में विफल रही हैं। पॉपुलर फ्रंट के प्रबंधकों ने बड़े शातिराना ढंग से अपने संगठन के सम्पर्क अन्य मुस्लिम संगठनों के साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कर्नाटक के एक मुस्लिम संगठन फोरम फॉर डिग्निटी ऑफ कर्नाटक से संपर्क साधा। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के एक अन्य जिहादी संगठन मनिथा नीति पासाराई से 2009 में संबंध स्थापित करके उसे अपने संगठन में विलीन कर लिया। इसके बाद उन्होंने गोवा स्थित सिटीजन फोरम, राजस्थान की कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी को भी अपने संगठन में मिला लिया। पश्चिम बंगाल में जमात-ए-इस्लामी ने एक संगठन नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति बना रखा था, जिसमें सिमी से जुड़े हुए अधिकांश लोग शामिल थे, वह भी पॉपुलर फ्रंट का हिस्सा बन गया। मणिपुर के जिहादी संगठन लिलोंग सोशल फोरम और आंध्र प्रदेश

के संगठन एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस आदि अनेक संगठनों को भी अपने साथ मिला लिया।

मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण की मांग पॉपुलर फ्रंट के नेता करते रहे हैं। हैदराबाद में 2005 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन राज्यसभा के पूर्व उपाध्यक्ष के. रहमान खान ने किया था। अपने आतंकवादी मंसूबों पर पर्दा डालने के लिए इस संगठन द्वारा देश भर में 'नया कारवां, नया हिन्दुस्तान' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बड़ी चालाकी से पॉपुलर फ्रंट के नेताओं ने विभिन्न राज्यों में सक्रिय इस्लामिक संगठनों के साथ अपने तारों को जोड़ा। हालांकि पॉपुलर फ्रंट के नेता यह दावा करते हैं कि उनका कुख्यात आतंकवादी संगठन सिमी से कोई संबंध नहीं है। किंतु उनका राष्ट्रीय नेता अब्दुर्रहमान कभी सिमी का सचिव हुआ करता था। जबकि इससे जुड़ा हुआ अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति भी सिमी के महामंत्री के रूप में कार्य करता रहा है। देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए पॉपुलर फ्रंट के नेता यह दावा करते हैं कि पॉपुलर फ्रंट की शुरुआत तो 1993 में ही हो गई थी, जबकि सिमी पर भारत सरकार ने 2001 में प्रतिबंध लगाया था।

फ्रंट के नेता लाख बेबुनियाद दावे करें मगर यह हकीकत है कि अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कन्नूर जिले के नारथ नामक स्थान पर स्थित पॉपुलर फ्रंट के एक प्रशिक्षण कैंप पर छापा मारकर फ्रंट के 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से अवैध अस्त्र-शस्त्र, अनेक बम और भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त पॉपुलर फ्रंट का काफी साहित्य भी इस शिविर में पकड़ा गया था। हालांकि पॉपुलर फ्रंट के नेताओं ने यह दावा किया था कि वे योग प्रशिक्षण शिविर चला रहे थे। फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया था कि पुलिस ने उनके खिलाफ यह झूठा मुकदमा बनाया है ताकि वह उन्हें बदनाम कर सके। बाद में इस केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी की थी।

एक घटना बेहद चौंकाने वाली है। 8 जून, 2011 में मैसूर के महाजन कॉलेज से दो छात्रों का अपहरण किया गया था और उनकी रिहाई के लिए पांच करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न मिलने पर इन दोनों छात्रों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस संदर्भ में आदिल पाशा, सैयद अमीन, शब्बीर रहमान,

मोहम्मद कौसर और सफीर अहमद को इस केस में गिरफ्तार किया था। केरल सरकार ने 2012 में केरल उच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया था जिसमें यह दावा किया था कि पॉपुलर फ्रंट का 27 हत्याओं में हाथ है। जिन लोगों की हत्याएं की गईं उनका संबंध मार्क्सवादी पार्टी और आरएसएस से था। 2014 में इसी उच्च न्यायालय में दिए गए एक अन्य शपथपत्र में सरकार ने यह दावा किया था कि 86 हत्याओं के प्रयासों के मुकदमें और 106 साम्प्रदायिक झड़पों के मुकदमें फ्रंट के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस ने एक बढई आबिद पाशा को गिरफ्तार किया था, जिस पर छह व्यक्तियों की हत्या करने का आरोप था। इसका संबंध पॉपुलर फ्रंट से था। 6 जुलाई, 2012 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक छात्र एन. सचिन गोपाल की आईटीसी, कन्नूर परिसर में पॉपुलर फ्रंट के छात्रों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इसी तरह से विद्यार्थी परिषद के एक अन्य कार्यकर्ता विशाल को भी मंगलुरु में पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने मौत के घाट उतार दिया था। कर्नाटक पुलिस ने आरोप लगाया था कि 2012 में असम में हुए दंगों के बाद पॉपुलर फ्रंट ने अन्य इस्लामिक आतंकवादी संगठनों जैसे- हरकत उल इत्तेहाद, हरकत उल जिहाद अल-इस्लामी और मनिथा नीति पासाराई की ओर से दक्षिण भारत में रहने वाले पूर्वोत्तर भारत के निवासियों को धमकी पूर्ण संदेश भेजे गए, जिसके कारण हजारों लोग दक्षिण भारत से भागकर असम जाने पर विवश हुए। कर्नाटक में सिमोगा में पॉपुलर फ्रंट की रैली में हुई हिंसा में दो व्यक्ति मारे गए। इनमें से विश्वनाथ शेट्टी की हत्या के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए।

2009 में पॉपुलर फ्रंट खुलकर राजनीति के मैदान में कूद पड़ा और उसने 17 फरवरी, 2009 में एक राजनीतिक कांफ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें यह दावा किया गया कि पॉपुलर फ्रंट से जुड़े हुए दो दर्जन संगठन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मणिपुर और तमिलनाडु में स्थापित किए जा चुके हैं और अब पॉपुलर फ्रंट राजनीति के मैदान में भाग लेने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण भारत में अपने कदम जमाने के बाद उत्तर भारत में भी फ्रंट ने अपने पैर पसारने शुरू किए। 26-27 नवम्बर, 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सोशल जस्टिस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें यह मांग की

गई कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। इस सम्मेलन को संबोधित करने वालों में मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और दक्षिण के अनेक नेता शामिल थे। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पॉपुलर फ्रंट के राष्ट्रीय सचिव के. एम. शरीफ ने सरकार से मुसलमानों के लिए तुरंत आरक्षण घोषित करने की मांग की। बाद में ऐसे ही सम्मेलनों का आयोजन कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई और मंगलुरु में भी किया गया। पॉपुलर फ्रंट ने साउथ इंडिया काउंसिल के साथ मिलकर दिल्ली में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सम्मेलन में भाग लिया, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने भी संबोधित किया था। इस सम्मेलन में यह मांग की गई थी कि मुसलमानों के लिए देश भर में उनकी आबादी के अनुपात में दस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की जाए।

देश में पॉपुलर फ्रंट ने जितनी तेजी से पांव पसारे हैं उसकी कहानी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2016 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल के कन्नूर जिले के कनकमाला नामक स्थान पर हो रही एक जिहादी संगठन अल जारूल खलीफा की बैठक पर छापा मारा तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि इस गुप्त संगठन की ओर से देश में सशस्त्र जिहाद छेड़ने और साम्प्रदायिक दंगे करवाने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि इस संगठन के तार आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं और इसके

संचालकों में पॉपुलर फ्रंट के अनेक नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने 22 व्यक्तियों को उत्तरी केरल के गांवों से आईएसआईएस की सेना में भर्ती करके जिहाद करने के लिए सीरिया भिजवाया था जबकि कुछ अन्य लोगों को अफगानिस्तान भी भेजा गया था ताकि वे वहां पर अलकायदा के गुप्त शिविरों में छापा मार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इस इस्लामिक संगठन को एक दर्जन से अधिक अरब देशों से गुप्त रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। पहले इसका मुख्यालय कोझीकोड में था। फ्रंट की केरल ईकाई के अध्यक्ष नसीरूद्दीन अल मारूम हैं। इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ई. अबू बकर भी केरल से है। इस संगठन के अनेक नेता सिमी और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट का कैडर पहले लाल वर्दी पहना करता था। अब उन्होंने अपनी वर्दी का रंग बदलकर नीला कर दिया है। गत वर्ष जब एक हिन्दू लड़की अखिला ने लव जिहाद के चक्कर में फंसकर इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना नया नाम हादिया जहां रख लिया तो उसके पिता के. अशोकन ने न्यायालय की शरण ली थी। पुलिस द्वारा की गई जांच के अनुसार इस बात का पता चला था कि अखिला के धर्म परिवर्तन में पॉपुलर फ्रंट का बहुत बड़ा हाथ है। सरकारी दावे के अनुसार गत वर्ष केरल में लव जिहाद की 27 घटनाएं हुई थीं। इनमें से अधिकांश के पीछे पॉपुलर फ्रंट का हाथ था। हाल ही में केन्द्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यह दावा किया था कि देश में नागरिक कानून के खिलाफ हो रहे दंगों के पीछे पॉपुलर फ्रंट का हाथ है। इसका केरल पॉपुलर फ्रंट के महामंत्री सी.पी. मोहम्मद बशीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि सरकार को तो हर जगह पॉपुलर फ्रंट का ही हाथ नजर आता है। केरल में पॉपुलर फ्रंट इस समय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से राजनीति में सक्रिय है। 2016 में इस पार्टी की ओर से पॉपुलर फ्रंट ने कई सीटों पर उम्मीदवार भी खड़े किए थे। जानकार सूत्रों का दावा है कि अब पॉपुलर फ्रंट इस के नाम से 2024 के चुनाव में राष्ट्रव्यापी पैमाने पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर रही है।

देश की सबसे विश्वस्त संवाद समिति पीटीआई ने 27 जनवरी, 2020 को एक समाचार प्रसारित किया था, जिसमें वित्त मंत्रालय से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा किया था कि उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए विदेशी सूत्रों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

को 120 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गुप्तचर सूत्रों के अनुसार पॉपुलर फ्रंट और उससे संबंधित रेहाब इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए 73 बैंक खातों में यह धनराशि जमा हुई है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने इस संदर्भ में पॉपुलर फ्रंट के अध्यक्ष ई. अबू बकर, उपाध्यक्ष ओ. एम. अब्दुल सलाम, महामंत्री एम. मोहम्मद अली जिन्ना और राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद और अब्दुल वाहिद सेठ से कई घंटों तक पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय का यह भी दावा है कि इस संगठन को दुबई से लाखों रुपये की धनराशि भी प्राप्त हुई है। 4 दिसंबर, 2019 से 6 जनवरी, 2020 की अवधि में पॉपुलर फ्रंट और उससे जुड़े हुए संगठनों को एक करोड़ चार लाख रुपये प्राप्त हुए। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ने यह दावा किया है कि उसे जो धनराशि प्राप्त हुई है वह पूर्ण रूप से वैध है और सरकार द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वह गलत है।

गुप्तचर सूत्रों का दावा है कि जब केरल और कर्नाटक सरकार ने पॉपुलर फ्रंट पर शिकंजा कसने की तैयारी की तो 2012 में पॉपुलर फ्रंट का मुख्यालय केरल से गुप्त तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में शिफ्ट कर लिया गया। इसकी आतंकवादी गतिविधियों के कारण झारखंड सरकार ने इसे प्रतिबंधित संस्था घोषित किया था। मगर सरकारी एजेंसियों की लापरवाही के कारण उच्च न्यायालय में यह प्रतिबंध टिक न सका और अब झारखंड सरकार ने इस संगठन पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए उसके पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। बताया जाता है कि इस संगठन से देश के 25 राज्यों के 55 मुस्लिम संगठन जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए। दिल्ली में हाल ही में भड़के दंगों में इस संगठन की भूमिका को देखते हुए अब इस बात की जरूरत पड़ गई है कि इसकी देशद्रोही हरकतों पर सख्ती से शिकंजा कसा जाए। मगर कठिनाई यह है कि अभी तक का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार ने जब भी इस्लामिक आतंकी व अतिवादी संगठनों से जुड़े हुए तत्वों पर प्रतिबंध लगाया उन्होंने फौरन एक नया संगठन स्थापित करके उसकी आड़ में अपनी भारत विरोधी गतिविधियां पुनः शुरू कर दी।

❑❑❑❑

मनमोहन शर्मा गत छह दशक से पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत्त हैं और भारत सरकार एवं संसद से विशिष्ट पत्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इस्लामी मामलों के विशेष जानकार श्री शर्मा अनेक पुस्तकों के लेखक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। वे भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित पाक्षिक 'उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण' के संपादक भी हैं।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक अतिवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 2006 में केरल में की गई थी। इसकी स्थापना करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सरकार ने इस्लामिक सेवक संघ, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, नेशनल डिफेंस फ्रंट, सिमी आदि विदेशी धन पर पलने वाले इस्लामिक आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कानून के चंगुल से बचने के लिए इन इस्लामिक आतंकवादी तत्वों ने पॉपुलर फ्रंट का गठन करने की घोषणा की। खास बात यह है कि यह संगठन गत 14 वर्षों से प्रचार की चकाचौंध से दूर रहकर देश भर में अपने पैर पसार रहा है। अपने आतंकवादी इरादों पर पर्दा डालने के लिए इसने अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम का जामा ओढ़ रखा है। यह संगठन युवकों, महिलाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों के क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों से अपना जाल फैला रहा है। हाल ही में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पॉपुलर फ्रंट ने देश भर में आंदोलन, प्रदर्शन इत्यादि प्रायोजित किए हैं और अनेक स्थानों पर हुई हिंसा में भी इसकी भूमिका की जांच जारी है।

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

ISBN: 978-93-84835-31-6
मूल्य: ₹60/-